**प्रकाशन के लिए अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
**माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण**

**रिट अपील क्रमांक 447/2011**

अनिल अग्रवाल

बनाम

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

**आदेश**

विचारार्थ

**सही/-**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राधे श्याम शर्मा**

मैं सहमत हूँ

**सही/-**
**आर.एस. शर्मा**
**न्यायाधीश**

दिनांक 23/09/2011 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करें

**सही/-**

**सुनील कुमार सिन्हा**

**न्यायाधीश**

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**युगलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**
**माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायाधीशगण**

**रिट अपील क्रमांक 447/2011**

**अपीलार्थी**
**याचिकाकर्ता**

अनिल अग्रवाल, पिता श्री राधेश्याम अग्रवाल, आयु लगभग 46 वर्ष, निवासी ग्राम तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के तहत स्थापित एक निगम है, जिसका प्रधान कार्यालय 10/10 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ, (उ.प्र.) में है, और जिसकी अन्य शाखाओं के साथ-साथ एक शाखा चावला कॉम्प्लेक्स, देवेंद्र नगर रोड, साईं नगर, रायपुर में स्थित है, जिसके अधिकृत प्रतिनिधि श्री आकाश पवार, पिता श्री वी.एस. पवार, सहायक महाप्रबंधक, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (युगल पीठ को अपील) अधिनियम, 2006 की धारा 2(1) के तहत रिट अपील)**

---

**उपस्थित:**

श्री बी.पी. शर्मा, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

---

**आदेश**

**(दिनांक 23.09.2011)**

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश **न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा,** द्वारा दिया गया :

**(1)** अपीलार्थी/याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को दिनांक 1.11.2010, 1.12.2010, 1.1.2011, 1.2.2011 और 1.3.2011 के पांच चेक जारी किए थे। जब चेकों को संबंधित

बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तो वे निधियों की अपर्याप्तता के कारण अनादरित हो गए। तत्पश्चात प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को एक नोटिस दिया गया और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम 1881' कहा गया है) की धारा 138 के तहत एक परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के न्यायालय में दायर की गई। उक्त न्यायालय ने, उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, प्रकरण का संज्ञान लिया और अपीलार्थी के विरुद्ध प्रक्रिया(नोटिस) जारी की। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के बजाय, दांडिक प्रकरण क्रमांक 397/2011 (स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया-बनाम- अनिल कुमार) की कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए रिट याचिका(दांडिक) क्रमांक 4840/2011 दायर की। रिट न्यायालय ने, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दिनांक 25.8.2011 के आदेश द्वारा उसे खारिज कर दिया, जिसे इस रिट अपील में चुनौती दी गई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(2)** अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा ने तर्क दिया कि आपेक्षित चेक अपीलार्थी द्वारा लिए गए ऋण की प्रतिभूति के लिए जारी किए गए थे, इसलिए वे अधिनियम, 1881 की धारा 138 के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने **एम.एस. नारायण मेनन उर्फ मणि -बनाम- केरल राज्य और एक अन्य, (2006) 6 एससीसी 39 और हर्षेन्द्र कुमार डी. -बनाम- रेबतिलता कोले और अन्य, (2011) 3 एससीसी 351** के निर्णयों का अवलंब लिया है।

**(3)** एम.एस. नारायण मेनन (पूर्वोक्त) के प्रकरण में, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ भी बकाया नहीं था और चेक प्रतिभूति के रूप में जारी किया गया था । उक्त बचाव को संभावित के रूप में स्वीकार किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने माना कि यदि बचाव संभावित रूप से स्वीकार्य है तो चेक को ऋण के निर्वहन में जारी किया गया नहीं माना जा सकता है, उदाहरण के लिए, यदि कोई चेक प्रतिभूति या किसी अन्य उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है तो वह अधिनियम, 1881 की धारा 138 के दायरे में नहीं आएगा।

**(4)** हर्षेन्द्र कुमार डी. (पूर्वोक्त) के मामले में, यह माना गया था कि "यह विधि नहीं है कि एक दांडिक प्रकरण में जहां विचारण होना बाकी है और प्रकरण समन जारी करने या संज्ञान लेने

के चरण में है, अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री जो सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रकृति की है या वह सामग्री जो संदेह या शंका से परे है, किसी भी परिस्थिति में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी धारा 482 के तहत अधिकारिता या उस विषय में संहिता की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए नहीं देखी जा सकती है। अब यह यथोचित रूप से स्थापित हो चुका है कि संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित अधिकारिता या धारा 397 के तहत पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते समय, ऐसे मामले में जहां शिकायत को रद्द करने की मांग की गई है, उच्च न्यायालय के लिए अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर विचार करना या आरोपों के गुण-दोष के संबंध में जांच शुरू करना उचित नहीं है। हालांकि, एक उपयुक्त मामले में, यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों के अवलोकन से, जो संदेह या शंका से परे हैं, उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सकते हैं, तो यह न्याय का उपहास होगा यदि अभियुक्त को विचारण के लिए भेजा जाए और उसे विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिरक्षा सिद्ध करने के लिए कहा जाए। ऐसे मामले में, न्याय को बढ़ावा देने या अन्याय या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय उन सामग्रियों को देख सकता है जिनका प्रथम दृष्टया चरण में मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(5)** इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई चेक ऋण की प्रतिभूति में जारी किया गया है न कि ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए, तो धारा 138 लागू नहीं होगी। ऐसे मामले में, प्रारंभिक चरण में यह सब मानने के लिए अभिलेख पर क्या सामग्री रखी गई है, यह महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि हर्षेन्द्र कुमार डी. (पूर्वोक्त) में कहा गया है, सामग्री सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रकृति की होनी चाहिए या वह सामग्री जो संदेह या शंका से परे हो। लेकिन इस चरण में परिवाद को अभिखंडित करने की सुनवाई करने वाले न्यायालय के लिए अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर विचार करना या आरोपों के गुण-दोष के संबंध में जांच शुरू करना उचित नहीं होगा ।

**(6)** वर्तमान मामले में, अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायत का कंडिका -3 निम्नानुसार है:-

> **3**. कि उक्त ऋण के अंतर्गत अपनी मौजूदा देनदारी के आंशिक निर्वहन के लिए अभियुक्त ने (मैसर्स श्याम राइस एंड परबॉइलिंग यूनिट-I के एकमात्र स्वामी के रूप में कार्य करते हुए) शिकायतकर्ता के पक्ष में 5 चेक आहरित किए थे ।

उनका विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | चैक संख्या | दिनांक | राशि | आहरित किया गया |
|---|---|---|---|---|
| 1. | संख्या 376746 | 1.11.2010 | 1,71,000 रु | देना बैंक, जवाहर नगर, रायपुर |
| 2. | संख्या 376747 | 1.12.2010 | 1,71,000 रु | देना बैंक, जवाहर नगर, रायपुर |
| 3. | संख्या 376748 | 1.1.2011 | 1,71,000 रु | देना बैंक, जवाहर नगर, रायपुर |
| 4. | संख्या 376749 | 1.2.2011 | 1,87,000 रु | देना बैंक, जवाहर नगर, रायपुर |
| 5. | संख्या .376750 | 1.3.2011 | 1,87,000 रु | देना बैंक, जवाहर नगर, रायपुर |

**(7)** प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया है कि चेक मौजूदा दायित्व के आंशिक निर्वहन में जारी किए गए थे। परिवाद में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि चेक ऋण की प्रतिभूति के लिए जारी किए गए थे। हमारे समक्ष या रिट न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह दर्शाती हो कि चेक ऋण की प्रतिभूति के रूप में जारी किए गए थे और वे अपीलार्थी के दायित्व के निर्वहन के लिए जारी नहीं किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(8)** श्री शर्मा ने अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत परिवाद दर्ज करने से पहले बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिस के उत्तर का संदर्भ दिया है। अपीलार्थी ने, नोटिस के उत्तर में, यह तर्क दिया है कि उपरोक्त सभी चेक नोटिस में उल्लिखित सावधि ऋण राशि की प्रतिभूति के लिए दिए गए थे। उपरोक्त के अलावा ऐसा कोई सुझाव देने वाली सामग्री नहीं है। नोटिस का उत्तर ऐसा दस्तावेज़ नहीं है जिसे शिकायत के आरोपों के विरुद्ध इस स्तर पर विचार में लिया जा सके, क्योंकि जवाब में दिया गया तर्क अपीलार्थी की बचाव है जिसके गुण-दोष के संबंध में विवेचना की आवश्यकता है, जो रिट न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। यह अपीलार्थी द्वारा लिया गया एक स्व-निहित आधार है जिसमें कोई शामिल नहीं है, और इस संबंध में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच की विवेचना की आवश्यकता है। इसलिए, केवल इस आधार पर, शिकायत की कार्यवाही, जैसा कि प्रार्थना की गई है, को रद्द नहीं किया जा सकता है ।

**(9)** ***<u>श्रीमती नागाव्वा-बनाम- वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोनजलगी और अन्य, एआईआर 1976 एससी 1947</u>*** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के तहत प्रक्रिया जारी करने के मामले पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया कि यह निर्णय लेने के लिए कि क्या प्रक्रिया जारी की जानी चाहिए, मजिस्ट्रेट शिकायत के अवलोकन से या आरोपों के समर्थन में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में निहित अंतर्निहित असंभाव्यताओं पर विचार कर सकता है, लेकिन अभियुक्त की दोषसिद्धि की संभाव्यता और उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने के बीच एक बहुत ही पतली विभाजक रेखा प्रतीत होती है ।यह आगे माना गया था कि निम्नलिखित मामलों में अभियुक्त के विरुद्ध प्रक्रिया जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को अभिखंडित या अपास्त किया जा सकता है:

(1) जहां शिकायत में किए गए आरोप या उसके समर्थन में दर्ज गवाहों के बयानों को यथावत लेने पर अभियुक्त के विरुद्ध बिल्कुल कोई मामला नहीं बनता है या शिकायत उस अपराध के आवश्यक तत्वों को प्रकट नहीं करती है जिसका आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) जहां शिकायत में किए गए आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभाव्य हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का पर्याप्त आधार है;

(3) जहां प्रक्रिया जारी करने में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया गया विवेक मनमाना और स्वेच्छचारी है क्योंकि यह या तो कोई साक्ष्य न होने पर या पूर्णतः असंगत या अग्राह्य सामग्री पर आधारित रहा है;

(4) जहां परिवाद मूलभूत विधिक दोषों से ग्रस्त है, जैसे कि मंजूरी का अभाव, या कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवाद का न होना और इसी तरह के अन्य।

**(10)** वर्तमान मामले में, हमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं मिलती है जिसके आधार पर अपीलार्थी/याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रक्रिया(नोटिस) जारी करने का आदेश या परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत पंजीकृत मामले की कार्यवाही को अभिखंडित किया जा सके। हमारा यह मत है कि मामले के उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका पर विचार न किया जाना पूर्णतः उचित था

**(11)** अतः रिट अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतदद्वारा संक्षेप में खारिज किया जाता है।

**सही/-**
**सुनील कुमार सिन्हा**
**न्यायाधीश**

**सही/-**
**आर.एस. शर्मा**
**न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amitesh Anand Rathore

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur